न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 165/2017

आम जनता भम्भौरी ग्राम भम्भौरी तहसील व जिला जयपुर जरिये
1. लालाराम पुत्र रामसहाय जाति जांगिड
2. गंगासहाय शर्मा पुत्र श्री मुरलीराम शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण
निवासीयान ग्राम भम्भौरी तहसील व जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत भम्भौरी तहसील व जिला जयपुर जरिये सरपंच।
2. संजू देवी पत्नी श्री शोकिन नाथ जाति कालबेलिया निवासी ग्राम भम्भौरी तहसील व जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत खारिज किये जाने आदेश दिनांक 20/07/2017 जिसके तहत मिसल संख्या 27 संकल्प संख्या 5(1) के द्वारा पट्टा संख्या 6 जारी किया गया।

उपस्थितः–
1. श्री मदन लाल कुडी एवं गोपाल लाल बाना अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री सन्तोष कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक की ओर से ।
3. श्री एन0 के0 सोनगरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–दो की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 19.02.2018

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत भम्भौरी, पं.स. झोटवाडा द्वारा विपक्षी अप्रार्थी संख्या 2 संजू देवी पत्नी श्री शोकिन नाथ जाति कालबेलिया निवासी ग्राम भम्भौरी तहसील व जिला जयपुर के पक्ष में 100 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा मिसल संख्या 27 संकल्प संख्या 5(1) के द्वारा पट्टा संख्या 6 दिनांक 20.07.2017 को जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.11.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री संतोष कुमार अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री एन.के.सोनगरा अधिवक्ता उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत भम्भौरी ने विपक्षी संख्या–दो के पक्ष में दिनांक 20.07.2017 को जो पट्टा जारी किया है वह विधिसम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा सुस्थापित विधिक सिद्वान्तो की पालना किए बिना पट्टा जारी किया गया है। निगरानीधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुसार आवेदन व आवेदन शुल्क व साथ में नजरिये नक्शा व शुल्क रसीद का ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर में कोई अंकन नहीं है ना ही शुल्क रसीद पट्टे पर दर्ज है। ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर में केवल दिनांक 19.05.2017 को प्रस्ताव संख्या 3 में यह उल्लेखित है कि दिनांक 12.06.2017 को पट्टा वितरण कैम्प की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

जानकारी दी गई व दिनांक 05.06.2017 को प्रस्ताव संख्या 2 में पत्रावली कोरम के समक्ष अवलोकन सात दिन का आपत्ति नोटिस जारी किया जावे व दिनांक 12.06.2017 को प्रार्थीयो का आवेदन कब्जाशुदा आबादी भूमियों के पट्टे चाहे गये है। अप्रार्थी संख्या 2 की फीस जमा कर निगरानीधीन भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में देने का निर्णय लिया गया। जबकि विधि अनुसार पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदनकर्ता अप्रार्थी संख्या 2 की पूर्ण जानकारी करनी चाहिए थी कि आवेदन कर्ता कब से इस ग्राम का निवासी है एवं वार्ड पंचो द्वारा मौका निरीक्षण की नियुक्ति के उपरान्त एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करना चाहिए था लेकिन ग्राम पंचायत भम्भौरी ने अप्रार्थी संख्या 2 को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से विधिवत पंचायती राज के नियमो की पालना किए बिना निगरानीधीन पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 मूलतः ग्राम बोबास तहसील फुलेरा के निवासी है जहां इनका आवासीय मकान है। अप्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 2 के ग्राम बोबास तहसील फुलेरा के निवासी होने की बखूबी जानकारी थी। निगरानीधीन पट्टे के पीछे सीमांकन के कॉलम में व नजरिये नक्शे में भी स्पष्ट रूप से उत्तर दिशा में संतरा देवी का मकान बता रखा है। आवासीय मकान होने के बाद अन्य जगह भूखण्ड का आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 के हक में विधिविरूद्व है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निगरानीधीन निर्णय सम्पूर्ण न्यायिक प्रकिया व नियमों को दरकिनार करते हुए अपनी मनमर्जी से पारित किया है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. दो के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 आदेश दिनांक 20.07.2017 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत भम्भौरी द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 को विधिक प्रकिया अनुसार ही निगरानीधीन भूमि के पट्टे जारी किये गये है। निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–दो की ओर से दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन आदेश पंचायती राज के नियमों की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पारित कर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा संख्या 6 जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम भम्भौरी तहसील जयपुर के ही निवासी है। ग्राम पंचायत भम्भौरी द्वारा नियमानुसार दिनांक 01.06.2017 को आम सूचना जारी की गयी एवं वार्ड पंच गण द्वारा मौका निरीक्षण कर उक्त पट्टा जारी किया गया है। नक्शा व पट्टे के पीछे भूखण्ड की जगह गलती से मकानात का अंकन हो गया है। ग्राम पंचायत भम्भौरी द्वारा 2011 में सर्वेक्षण हुआ था उसी आधार पर निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से ग्राम पंचायत भम्भौरी के निर्णय/आदेश दिनांक 20.07.2017 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 06 को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत भम्भौरी, पंचायत समिति झोटवाडा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि ग्राम पंचायत

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner

भम्भौरी द्वारा विपक्षी संख्या 2 संजू देवी पत्नी श्री शोकिननाथ के पक्ष में 100 वर्गगज भूखण्ड का संकल्प संख्या 5(1) दिनांक 20.07.2017 की अनुपालना में पट्टा संख्या 06 जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई है एवं प्रार्थी ग्राम पंचायत भम्भौरी के निवासी नहीं होकर ग्राम बोबास तहसील फुलेरा के निवासी है एवं अप्रार्थी संख्या 2 के ग्राम बोबास में आवासीय मकानात है। जबकि मूल पट्टा पत्रावली में वार्ड पंचगण की मौका रिपोर्ट अनुसार निगरानीधीन भूमि खाली भूखण्ड है एवं ग्राम पंचायत भम्भौरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को भूमिहीन मानकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अप्राथी संख्या 2 ने ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात पेश नहीं किया जिससे वकील निगरानीकर्ता की इस दलील का खण्डन हो सके कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम बोबास के निवासी नहीं है तथा उनका आवासीय मकान ग्राम बोबास में नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के ग्राम भम्भौरी, तहसील जयपुर के मूल निवासी होने तथा ग्राम बोबास, तहसील फुलेरा में आवासीय मकान होने संबंधी तथ्यो की जाँच नहीं की गयी। जबकि ग्राम पंचायत भम्भौरी के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 29.06.2017 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को भूमिहीन मानकर निगरानीधीन पट्टा जारी करने के आदेश दिनांक 20.07.2017 को पारित किए गए। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंचों की कमेटी तो गठित की गई लेकिन पंचगणों की मौका रिपोर्ट संबंधी कोई तथ्य बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम व नियमों की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा भम्भौरी द्वारा पंचायतीराज अधिनियम व नियमों का उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भम्भौरी पंचायत समिति झोटवाडा द्वारा जारी संकल्प सं. 5(1) दिनांक 20.07.2017 से निर्णय लेते हुये अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जारी पट्टा संख्या 6 निरस्त किया जाता है। साथ ही पत्रावली ग्राम पंचायत, भम्भौरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई की जाकर, विधिसम्मत निर्णय लेवें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/2/18

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त कलक्टर प्रथम,
जयपुर

(डॉ. मोहन लाल यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम
कलक्टर, जयपुर

Scanned by CamScanner